



VENTURE CAPITAL FUND FOR SCHEDULED TRIBES



सत्यमेव जयते

Ministry of Tribal Affairs
Government of India

BRIEF GUIDELINES OF VENTURE CAPITAL FUNDS FOR SCHEDULED TRIBES (VCF-ST)

Basic Eligibility Criteria (For VCF-ST)

- Applicant should belong to Scheduled Tribes Community and has the Documentary proof.
- The projects/units being set up in manufacturing, services and allied sector, including start-ups and /or units being incubated in the technology business incubator (for Incubation Funding).
- Companies having 51% shareholding by Scheduled Tribes (ST) entrepreneurs with management control OR; a new Company which is a successor entity of an establishment incorporated under any law in force with sound business model.

Eligibility Criteria (Other than Incubations funding / Technology Oriented innovative Project)

- For financial assistance up to Rs. 50 lakh: Companies having 51% shareholding by Scheduled Tribes (ST) entrepreneurs for the past 6 months with management control OR; a new Company which is a successor entity of an establishment incorporated under any law in force with sound business model which has been in operation for over 6 months, and the predecessor entity had at least 51% shareholding of the Scheduled Tribes (ST) entrepreneurs with management control.
- For financial assistance above Rs. 50 lakh: Companies having at least 51% shareholding by Scheduled Tribes (ST) entrepreneurs for the past 12 months with management control OR; a new Company which is a successor entity of an establishment incorporated under any law in force with sound business model which has been in operation for over 12 months, and the predecessor entity had at least 51% shareholding of the Scheduled Tribes (ST) entrepreneurs with management control.

Eligibility Criteria (Incubation Funding / Technology Oriented innovative Project)

A. Innovative ideas selected by Technology Business Incubators (TBIs) for incubation funding to cover the cost of carrying out innovation project subject to a ceiling of Rs. 10 lakhs on an average per year for a period of three years aggregating Rs.30 Lakh subject to satisfactory progress. Or

B. New Companies having at least 51% shareholding by first time Scheduled Tribes entrepreneurs who have been working in technology oriented innovative projects:

- i. with the support of incubation centers at IITs, NITs, Premier Business Schools, Universities, Institutions, Medical Colleges, NSTEDB under Department of Science & Technology (DST) or supported by corporates, with good potential of commercialization and project is at implementation stage; and / or;

ii. without the support of Incubation centers but are having patent/ copyrights with good potential of commercialization and project is at implementation stage.

iii. Projects sanctioned by Departments/Ministries of Government of India after due appraisal.

| S.N | Indicators | Details |
|-----|--|---|
| 1 | Financial Assistance. | Rs. 10 Lakhs to Rs.5 Crore.(subject to VCF-ST assistance not more than two times of the networth of the company) |
| 2 | Incubation Funding | Max. Rs.10 Lakh per year for a period for 3 (Three) years aggregating Rs.30 Lakh. |
| 3 | Tenure of financial assistance | <ul style="list-style-type: none"> • Up to 10 years including moratorium period in case of debentures. • In case of equity, decision for exit would be taken on case-to-case basis with maximum tenure up to 10 years. |
| 4 | Moratorium on principal | Maximum of 36 months from the date of first disbursement in case of debentures. |
| 5 | Nature of Financial Assistance | <p>1.Compulsorily Convertible Debentures (CCDs), Optionally Convertible Debentures (OCDs), Non- Convertible Debentures (NCDs), etc.</p> <p>2.Shares including CCPS/OCPS (maximum up to 25% of the corpus).</p> |
| 6 | Funding Pattern | <ul style="list-style-type: none"> • The applicant shall be funded maximum upto 75% of the project cost and the balance 25% of the project cost will be funded by the promoters or through Government subsidy or through bank loans; • In cases where any other source of funding is sought/available, the promoters will have to contribute at least 15% of the project cost. <p>In no case would the assistance from VCF-ST exceed Rs.5.00 crore and in the case of Incubation Funding / Technology Oriented innovative Project, exceed Rs.30 lakhs (annually not more than Rs. 10 lakhs for a period of 3 years.</p> |
| 7 | Coupon Rate (equivalent to rate of interest) | <ul style="list-style-type: none"> • For Debenture/Convertible Instruments - 4% p.a. (For women/disabled ST entrepreneurs 3.75% p.a.) • For Equity investment, return at the time of exit by way of buyback/ strategic investment/IPO shall be 4% p.a. or as per the valuation whichever is higher. |

| | | |
|----|----------------|---|
| 8. | Exit Mechanism | <ul style="list-style-type: none"> Exit through payments out of operations, buyback/redemptions by promoters/ companies, strategic investments, listing on stock exchanges or any other exit process. |
| 9. | Security | <p>The following Securities shall be taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> The assets of the project being funded/assisted under the scheme shall be charged for security. Pari-pasu charge on assets with the Banks/FIs in case of the companies applying for loan with banks/ FIs on case-to-case basis. Pledge of Shares held by promoters and forming at least 26% stake and up to 51% of the Issued and Paid-up capital. Post-dated Cheques (PDCs)/ Electronic Clearing Service (ECS) and promissory notes. Personal guarantees of the promoters along with buyback agreement. In case no mortgage in the form of project land is available, the borrower may arrange collateral securities. For Incubation funding pledge of shares held by the ST Promoter(s) in the Company. |

For more details please contact

Investment Manager



IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED

IFCI Tower, 16th Floor, 61, Nehru Place, New Delhi-110019

Phone No: 011 - 4173 2570 / 2590 / 2516

EMAIL: VCFST@IFCIVENTURE.COM

WEBSITE: WWW.VCFST.IN

***Disclaimer:** This handout is solely for the purposes of information and does not form a part of any acceptance and sanction of proposals under the fund. IFCI Venture does not warrant completeness or accuracy of information presented herein. The information in the handout is believed to be reliable and has been presented in good faith without any legal obligation to any party. IFCI Venture will not incur or own any legal liability or responsibility arising from the use of information in this note. Opinion, estimates, and targets are subject to change.*



अनुसूचित जनजातियों के लिए
वेचर कैपिटल फंड



सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एसटी) के संक्षिप्त दिशानिर्देश

बुनियादी योग्यता मानदंड (वीसीएफ-एसटी के लिए)

- आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए और उसके पास दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए।
- विनिर्माण, सेवा और संबद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाएं/इकाइयां, जिनमें स्टार्ट-अप और/या प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (इंक्यूबेशन फंडिंग के लिए) में इंक्यूबेट की जा रही इकाइयां शामिल हैं।
- जिन कंपनियों में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमियों की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है; एक नई कंपनी जो अच्छे व्यवसाय मॉडल के साथ लागू किसी भी कानून के तहत निगमित किसी प्रतिष्ठान की उत्तराधिकारी इकाई है।

योग्यता मानदंड (इंक्यूबेशन फंडिंग/प्रौद्योगिकी केन्द्रित नवोन्मेष परियोजना के अलावा)

- रु. 50 लाख तक की वित्तीय सहायता के लिए पिछले 6 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमियों द्वारा 51 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली कंपनियां या; एक नई कंपनी जो 6 महीने से अधिक समय से परिचालन में चल रहे किसी भी कानून के तहत स्थापित एक प्रतिष्ठान की उत्तराधिकारी इकाई है, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमियों की कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
- रु. 50 लाख से अधिक वित्तीय सहायता के लिए पिछले 12 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमियों द्वारा 51 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली कंपनियां या; एक नई कंपनी जो 12 महीने से अधिक समय से परिचालन में चल रहे किसी भी कानून के तहत स्थापित एक प्रतिष्ठान की उत्तराधिकारी इकाई है, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमियों की कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

योग्यता मानदंड (इंक्यूबेशन फंडिंग/प्रौद्योगिकी केन्द्रित नवोन्मेष परियोजना)

- क) नवाचार परियोजना को पूरा करने की लागत को कवर करने के लिए इंक्यूबेशन फंडिंग के लिए टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स (टीबीआई) द्वारा नवोन्मेषी विचारों का चयन किया गया। संतोषजनक प्रगति के अधीन तीन साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष औसतन रु. 10 लाख की सीमा के अधीन कुल मिलाकर रु. 30 लाख या
- ख) नई कंपनियाँ जिनमें पहली बार अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हो जो प्रौद्योगिकी उन्मुख नवीन परियोजनाओं में काम कर रहे हों:

- i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत आईआईटी, एनआईटी, प्रीमियर बिजनेस स्कूलों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, एनएसटीईडीबी में इनक्यूबेशन केंद्रों के समर्थन से या कॉर्पोरेट द्वारा समर्थित, व्यावसायीकरण की अच्छी क्षमता के साथ और परियोजना कार्यान्वयन चरण में है; और/या
- ii) इनक्यूबेशन केंद्रों के समर्थन के बिना लेकिन व्यावसायीकरण की अच्छी संभावना के साथ पेटेंट/कॉपीराइट प्राप्त हैं और परियोजना कार्यान्वयन या चरण में है;
- iii) उचित मूल्यांकन के बाद भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं।

| S. N | सकेतक | विवरण |
|------|---------------------------------|---|
| 1 | वित्तीय सहायता | रु. 10 लाख से रु. 5 करोड़ (वीसीएफ-एसटी सहायता के अधीन, कंपनी की नेटवर्थ के दो गुना से अधिक नहीं) |
| 2 | इंक्यूबेशन फंडिंग | अधिकतम. 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष रु. 10 लाख कुल मिलाकर रु. 30 लाख |
| 3 | वित्तीय सहायता की अवधि | <ul style="list-style-type: none"> डिबेंचर के मामले में अधिस्थगन अवधि सहित 10 वर्ष तक इक्विटी के मामले में, बाहर निकलने का निर्णय केस-टू-केस आधार पर लिया जाएगा जिसकी अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी |
| 4 | मूलधन पर अधिस्थगन | डिबेंचर के मामले में प्रथम संवितरण की तिथि से अधिकतम 36 माह |
| 5 | वित्तीय सहायता की प्रकृति | <ol style="list-style-type: none"> अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी), वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी), गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), आदि। सीसीपीएस/ओसीपीएस सहित शेयर (कॉर्पस का अधिकतम 25 प्रतिशत तक)। |
| 6 | फंडिंग पैटर्न | <ul style="list-style-type: none"> आवेदक को परियोजना लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत तक वित्त पोषित किया जाएगा और परियोजना लागत का शेष 25 प्रतिशत प्रमोटरों द्वारा या सरकारी सब्सिडी के माध्यम से या बैंक ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा; ऐसे मामलों में जहां फंडिंग का कोई अन्य स्रोत है मांगे/उपलब्ध होने पर, प्रमोटरों को परियोजना लागत का कम से कम 15 प्रतिशत योगदान देना होगा। <p>किसी भी मामले में वीसीएफ-एसटी से सहायता रु. 5.00 करोड़ से अधिक नहीं होगी और इनक्यूबेशन फंडिंग/प्रौद्योगिकी उन्मुख अभिनव परियोजना के मामले में, 30 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी (3 साल की अवधि के लिए सालाना 10 लाख रुपये से अधिक नहीं)।</p> |
| 7 | कूपन दर (ब्याज दर की समकक्ष दर) | <ul style="list-style-type: none"> डिबेंचर/परिवर्तनीय उपकरणों के लिए - 4 प्रतिशत प्रति वर्ष। (महिला/विकलांग एसटी उद्यमी 3.75 प्रतिशत प्रति वर्ष) इक्विटी निवेश के लिए, बायबैक/रणनीतिक निवेश/आईपीओ के माध्यम से बाहर निकलने के समय रिटर्न 4 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा या मूल्यांकन के अनुसार जो भी अधिक हो। |

| | | |
|----|--------------|---|
| 8. | निकासी तंत्र | <ul style="list-style-type: none"> परिचालन से बाहर भुगतान के माध्यम से बाहर निकलें, बायबैक/प्रमोटरों/कंपनियों द्वारा मोचन, रणनीतिक निवेश, स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग या कोई अन्य निकास प्रक्रिया। |
| 9. | प्रतिभूति | <p>निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ ली जाएंगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> योजना के तहत वित्त पोषित/सहायता प्राप्त परियोजना की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए शुल्क लिया जाएगा। मामले-दर-मामले के आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास ऋण के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास संपत्तियों पर यथानुपात शुल्क। प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों की प्रतिभूति और कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी और जारी एवं भुगतान की गई पूंजी का 51 प्रतिशत तक। पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी)/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) और वचन पत्र। बायबैक समझौते के साथ प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी। यदि परियोजना भूमि के रूप में कोई बंधक उपलब्ध नहीं है, तो कर्जदार संपार्श्विक प्रतिभूतियों की व्यवस्था कर सकता है। कंपनी में एसटी प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों की इन्व्यूबेशन फंडिंग प्रतिभूति के लिए। |

विस्तृत विवरणों के लिए कृपया संपर्क करें निवेश प्रबंधक



आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
आईएफसीआई टॉवर, 16वां तल, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

फोन नं.: 011 - 4173 2570 / 2590 / 2516

मेल: VCFST@IFCIVENTURE.COM

वेबसाइट: WWW.VCFST.IN

अस्वीकरण: यह हैंडआउट केवल सूचना के प्रयोजनों के लिए है और फंड के तहत प्रस्तावों की किसी भी स्वीकृति और मंजूरी का हिस्सा नहीं बनता है। आईएफसीआई वेंचर यहां प्रस्तुत जानकारी की पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देता है। हैंडआउट में दी गई जानकारी विश्वसनीय मानी जाती है और इसे किसी भी पक्ष के प्रति किसी भी कानूनी बाध्यता के बिना अच्छे विश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया है। आईएफसीआई वेंचर इस नोट में दी गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई कानूनी देनदारी या जिम्मेदारी नहीं लेगा। राय, अनुमान और लक्ष्य परिवर्तन के अधीन हैं।